भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या – 2055

उत्तर देने की तारीख : 03.08.2022

दिव्यांगजनों के लिए योजनाएं

2055. श्री नीरज डांगी:

क्या *सामाजिक न्याय और अधिकारिता* मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए कौन-कौन सी नई योजनाएं तैयार की गई हैं;

(ख) सरकार द्वारा विगत तीन वर्षों के अंतर्गत दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए विभिन्न राज्यों को कितनी निधि आवंटित की गई है; और

(ग) सरकार द्वारा देश में दिव्यांगजनों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए क्या-क्या कदम उठाये गए हैं या उठाये जा रहे हैं?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(सुश्री प्रतिमा भौमिक)

(क): भारत के संविधान की राज्य सूची की प्रविष्टि 9 के आधार पर दिव्यांगजनों को राहत प्रदान करना राज्य का विषय है। तथापि, केन्द्र सरकार दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए राज्य सरकारों के प्रयासों को आगे बढ़ाती है।

मंत्रालय के तहत दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग विभिन्न केंद्रीय क्षेत्रक योजनाओं नामत: दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना (वर्ष 1999 से), सहायक यंत्रों/सहायक उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए दिव्यांगजनों को सहायता (वर्ष 2005 से), दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए योजना (वर्ष 1999 से) और दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्तियां (वर्ष 2012-13 से) को कार्यान्वित कर रहा है।

छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत निम्नलिखित छह घटक हैं:

i. दिव्यांग छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति (2014-15 से);
ii. दिव्यांग छात्रों (एसडब्ल्यूडी) के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियां (2014-15 से);
iii. दिव्यांग छात्रों के लिए उच्च श्रेणी की शिक्षा (टॉप क्लास एजुकेशन) के लिए छात्रवृत्ति (2015-16 से);
iv. राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति (2014-15 से);
v. दिव्यांग छात्रों (एसडब्ल्यूडी) के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप (2012-13 से), और
vi. दिव्यांग छात्रों (एसडब्ल्यूडी) के लिए मुफ्त कोचिंग (2017-18 से)

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन की योजना (सिपडा) के प्रमुख घटक है:

i. दिव्यांगजनों के लिए बाधामुक्त वातावरण का निर्माण (1998-99 से),
ii. दिव्यांगजनों के कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (2013-14 से),
iii. सुगम्य भारत अभियान (2016-17 से),
iv. विशिष्ट दिव्यांगता पहचान-पत्र (2014-15 से),

इसके अलावा, राष्ट्रीय न्यास, जो विभाग के तहत एक सांविधिक निकाय है और जिसे ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु दिव्यांगता ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास अधिनियम,

1999 के तहत 2000 में स्थापित किया गया था, दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए निम्नलिखित प्रमुख योजनाओं का कार्यान्वयन करता है:

(i) दिशा (0-10 वर्षों के लिए अर्ली इंटरवेंशन और स्कूल तैयारी की योजना) (2015-16 से)

(ii) विकास (10 + वर्ष के आयु वर्ग के लिए डे केयर योजना) (2015-16 से)

(iii) दिशा-सह विकास योजना (डे केयर) (2018-19 से)

(iv) समर्थ (राहत देखभाल आवासीय योजना) (2015-16 से)

(v) घरौंदा (वयस्कों के लिए समूह गृह) (2015-16 से)

(vi) समर्थ-सह-घरौंदा योजना (आवासीय) (2018-19 से)

(vii) 'निरामय ' स्वास्थ्य बीमा योजना (2015-16 से)

(ख): मंत्रालय के तहत दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही सभी योजनाएं केंद्रीय क्षेत्रक योजनाएं हैं जिनके अंतर्गत निधियों का कोई राज्य-वार आवंटन नहीं किया जाता है।

(ग): सरकार ने दिव्यांगजन अधिकार (आरपीडब्ल्यूडी) अधिनियम, 2016 अधिनियमित किया है जो दिनांक 19-04-2017 को प्रभावी हुआ है । उक्त अधिनियम की धारा 34 में बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों (40 प्रतिशत या उससे अधिक की दिव्यांगता) की निम्नलिखित श्रेणियों के लिए सरकारी रिक्तियों में न्यूनतम 4 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है:

(i)	दृष्टिहीनता और लो विज़न (निम्न दृष्टि)	1%
(ii)	बधिर और कम सुनने वाला	1%
(iii)	प्रमस्तिष्क घात, (सेरिब्रल पाल्सी), कुष्ठ रोग उपचारित, बौनापन, तेजाब आक्रमण पीड़ित और मस्कुलर डिस्ट्रोफी सहित लोकोमोटर दिव्यांगता शामिल है	1%
(iv)	स्वपरायणता, बौद्धिक दिव्यांगता, विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता और मानसिक बीमारी	1%
(v)	खंड (i) से खंड (iv) के तहत व्यक्तियों में से बहुदिव्यांगताएं जिसके अंतर्गत बधिर, दृष्टिहीनता भी शामिल है।	

आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 के तहत परिकल्पित सरकारी रोजगार में आरक्षण के प्रावधान को लागू करने के लिए मंत्रालय ने 04.01.2021 को बेंचमार्क दिव्यांगजनों की विभिन्न श्रेणियां के लिए समुचित 3566 पदों (समूह क में 1046, समूह ख में 515, समूह ग में 1724 और समूह घ में 281) की सूची अधिसूचित की है।

इसके अलावा, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (डीईपीडब्ल्यूडी) स्वरोजगार को बढ़ावा देने के अलावा सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में दिव्यांगजनों के लिए रोजगार के दायरे को बढ़ाने के उद्देश्य से उनके कौशल विकास (15 से 59 वर्ष के बीच के आयु वर्ग) के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपी) कार्यान्वित करता है। दिव्यांगजनों के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए दिव्यांगजन स्वावलंबन योजना के तहत विभाग के केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम नैशनल हैंडीकैप्ड फाइनेंस एवं डवलेपमेंट कारपोरेशन (एनएचएफडीसी) द्वारा रियायती दरों पर ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। एनएचएफडीसी ने एक जॉब पोर्टल (www.disabilityjobs.gov.in) भी स्थापित किया है जिसके माध्यम से दिव्यांगजन नौकरी, कौशल प्रशिक्षण, शिक्षा ऋण और स्वरोजगार ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं।

***